रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 166] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 1971/भाद्र 23, 1893

No. 166] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1971/BHADRA 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDERS

New Delhi, the 14th September 1971

G.S.R. 1342/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order 1966, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 1250/Ess. Com./Sugar, dated the 30th August, 1971, the Central Government hereby directs that no producer shall,—

(i) subject to the availability of sugar covered by an Order permitting such sale, refuse to sell sugar to a recognised dealer, or

(ii) sell less than twenty percent of the monthly quota of sugar released to him for sale, in each of the following periods of a month, namely:—

(a) 1st to the 7th

(b) 8th to the 15th

(c) 16th to the 22nd

(d) 23rd to the end of the month, and

(iii) despatch more than 2,200 quintals of sugar in each of the weekly periods mentioned in item (ii) above, to any recognised dealer.

[No. 1-13/71(i)-SPY.]

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1971

सा० का० नि० 1342.—**आव० वस्तु/शर्करा.**—शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 1250/आव० वस्तु/शर्करा तारीख 30 अगस्त, 1971 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि कोई भी उत्पादक—

(i) किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी को, शर्करा के उपलभ्य होने पर, ऐसे विक्री को अनुज्ञात करने वाले किसी आदेश के अन्तर्गत आने वाली शर्करा बेचने से इंकार नहीं करेगा या

(ii) किसी मास की निम्नलिखित अवधियों में से प्रत्येक में, विक्रय के लिए उसे दिये गये शर्करा के मासिक-कोटा के, बीस प्रतिशत से कम का विक्रय नहीं करेगा, अर्थात्:—

(क) 1 से 7 तक

(ख) 8 से 15 तक

(ग) 16 से 22 तक

(घ) 23 से मास के अन्त तक, और

(iii) किसी मान्यताप्राप्त व्यवहारी को उपरोक्त मद (ii) में उल्लिखित साप्ताहिक अवधियों में से प्रत्येक में 2,200 क्विंटल से अधिक शर्करा नहीं भेजेगा।

[सं० 1-13/71(i)-एस० पी० वाई०]

G.S.R. 1343/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following further amendment in Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 1251/Ess. Com./Sugar, dated the 30th August, 1971, namely:—

In the said Order, for the existing items (2) and (3) and the entries relating ereto, the following items shall be substituted, namely,—

"(2) in cities and towns with a population of five lakhs or more.....1000 quintals

(3) in cities and towns with a population of one lakh and more, but less than five lakhs.....500 quintals

(4) in other towns with a population of less than one lakh.....250 quintals."

[No. 1-13/71(ii)-SPY.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

सा० का० नि० 1343/आव० वस्तु/शर्करा.—केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं० सा० का० नि० 1251/आव० वस्तु/शर्करा, तारीख 30 अगस्त, 1971 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, विद्यमान मद (2) और (3) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

(2) पांच लाख या अधिक की जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में—1000 क्विंटल

(3) एक लाख और अधिक, परन्तु पांच लाख से कम की जनसंख्या वाले शहरों और नगरों में—500 क्विंटल

(4) एक लाख से कम की जनसंख्या वाले अन्य नगरों में—250 क्विंटल ।

[सं० 1-13/71(ii)-एम०पी०वाई०]

एस० वी० सम्पथ,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971